'' भारत में किन्नरों का सामाजिक बहिष्करण : एक समकालीन अध्ययन''

(विशेषतः आगरा के सन्दर्भ में)

दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा
की
पीएच. डी. (समाजशास्त्र)
की उपाधि हेतु
प्रस्तावित रुपरेखा
2016–2017

<u>निर्देशकः</u>
डॉ0 प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
संकाय– समाज विज्ञान

<u>शोधार्थिनीः</u>
सुधा मिश्रा
(समाजशास्त्र)

<u>विभागाध्यक्षः</u>
प्रो0 पूर्णिमा जैन
विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
संकाय– समाज विज्ञान

<u>संकाय प्रमुखः</u>
प्रो0 स्वामी प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय– समाज विज्ञान

सामाजिक विज्ञान संकाय
दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग, आगरा–282005

प्रस्तावना

भारत एक वृहत देश है।यहॉ विविध प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। यहॉ नाना प्रकार के लोग निवास करते हैं, भॉति –भॉति प्रकार का भोजन किया जाता है, अनेकों प्रकार की बोलियॉ बोली जाती हैं। अलग–अलग क्षेत्रों का पहनावा अलग–अलग है। अनेकों संस्कृतियों का समागम है भारत वर्ष। संस्कृतियॉ राज्यों की सीमाओं को भी नकारती हैं। एक संस्कृति कई राज्यों में पायी जाती है और एक राज्य में अनेकों संस्कृतियॉ। भारत भौगोलिक रुप से विशाल देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में सातवॉ स्थान है। जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 62,37,24,248 और महिलाओं की जनसंख्या 58,64,69,174 है। भारत का लिंगानुपात 943 है अर्थात् 1000 पुरुषों पर 943 महिलाऍ हैं।

भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को समाहित किये हैं। यहॉ सम–धर्म सम –भाव की संस्कृति पायी जाती है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.80 प्रतिशत हिन्दू, 14.23 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.72 प्रतिशत सिख, 0.70 प्रतिशत बौद्ध, 0.37 प्रतिशत जैन और 0.66 प्रतिशत अन्य निवास करते हैं। देश में हिन्दू धर्म की प्रमुखता होने के बावजूद देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। हिन्दू धर्म में किसी एक देवी– देवता की उपासना नहीं की जाती, बल्कि यहॉ 33 करोड़ देवी–देवताओं की पूजा की जाती है, यहॉ तक की हिन्दू धर्म में पेड़– पौधों, पक्षी, जानवर को भी पूज्नीय माना गया है। हिन्दू धर्म मुख्यतया कठोर जाति व्यवस्था पर आधारित है। वेदों में चार वर्णों का वर्णन मिलता है– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरातन व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मणों का कार्य पठन –पाठन, पूजा आदि था। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे। वैश्य का कार्य समाज के लिये भोजन का प्रबन्ध करना था जबकि शूद्र वर्ग अन्य वर्गों की सेवा करता था। यही संरचना धीरे–धीरे परिवर्तित होते हुए कठोर जाति– व्यवस्था में बदल गयी है। यह जाति व्यवस्था लोंगो में उच्चता और निम्नता की भावना लाती है इससे समाज में असमानता प्रकट होती है। भारतीय सामाजिक संरचना में एक वर्ग और है जिसे किन्नरों के नाम से जाना जाता है, जो सामाजिक असमानता या भेदभाव से सर्वाधिक पीड़ित है।

सामाजिक असमानता से तात्पर्य, विभिन्न समाजों, समुदायों, समूहों या वर्गों के मध्य या एक ही समाज में पायी जाने वाली प्रस्थितियों, स्रोंतों, आय तथा शक्ति के मध्य अन्तर से है। सामाजिक असमानता के अन्तर्गत वस्तुओं, धन– सम्पत्ति, अवसर, पुरस्कार और दण्ड का असमान वितरण होता है। सामाजिक असमानता मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है–स्थिति की असमानता और अवसर की असमानता। स्थिति की असमानता को आय, सम्पत्ति और भौतिक वस्तुओं के असमान वितरण के द्वारा समझा जा सकता है जबकि अवसर की असमानता से तात्पर्य जीवन के अवसरों के असमान वितरण से है अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाऐं, न्याय आदि का असमान वितरण। इसके अलावा **जोसुआ कोलिन तथा अन्य** (2015) ने भी सामाजिक असमानता या भेदभाव के दो प्रकार बताये हैं– औपचारिक और अनौपचारिक भेदभाव। **औपचारिक भेदभाव** में कार्य स्थल पर होने वाले भेदभाव को

माना गया है, जैसे– रोजगार के लिए आवेदन– पत्र के समय, साक्षात्कार, पदोन्नति में, कार्य मूल्यांकन , सेवा समाप्ति आदि के समय जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उसे ही औपचारिक भेदभाव कहते हैं। जबकि **अनौपचारिक भेदभाव** के अन्तर्गत सामाजिक तौर पर असम्मानपूर्ण व्यवहार को रखा गया है तथा जिसके कारण इन्हे कलंक माना जाता है। सामाजिक बहिष्कार को इसी के अन्तर्गत रखा गया है। सामाजिक असमानता के दो मुख्य सिद्धान्त हैं– 1– प्रकार्यात्मक सिद्धान्त और 2– संघर्ष सिद्धान्त। प्रकार्यात्मक सिद्धान्त को देने वाले विचारक, **किंग्सले डेविस और विलवर्ट मूर** का मानना है कि असमानता समाज के लिए इच्छित और अनिवार्य है और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसी कारण वह पद समाज में अधिक सम्मान पाता है। इसके विपरीत संघर्ष सिद्धान्त, इसको मुख्यतः **लेविस कोजर** के द्वारा दिया गया, मानता है कि सामाजिक असमानता, समाज की प्रगति और विकास को रोकती है जैसे कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए, शक्तिहीन व्यक्ति को विकास करने से रोकता है। सामाजिक असमानता समाज में लिंग, आयु, प्रजाति आदि के आधार पर पायी जाती है। सामाजिक असमानता का एक और पक्ष लैंगिक भिन्नता भी है। लिंग के आधार पर जब समाज में भेदभाव किया जाता है तो यह **लैंगिक भिन्नता** कहलाती है। भिन्नता से अभिप्राय मनुष्यों, समूहों, समुदायों या समाजों के बीच लिंग के आधार भिन्नता का होना या भेदभाव किया जाना है। समाज द्वारा लिंग आधारित भूमिका के निर्धारण के कारण इसका जन्म होता है। लिंग सामाजिक– सांस्कृतिक पद है जो कि समाज में स्त्री और पुरूष की अलग – अलग भूमिका और व्यवहार को दर्शाता है। तृतीय लिंग के साथ असमानता समाज में चरम पर पायी जाती है। किन्नरों के साथ समाज का कोई भी वर्ग समानता का व्यवहार नहीं करता। लैंगिक भिन्नता का पता चलने के बाद घर– परिवार, स्कूल– कॉलेज, कार्य स्थल आदि सभी जगहों पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है।हालॉकि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर समानता को स्थापित करने के लिए अनेकों प्रावधान किये गये हैं।

समानता को स्थापित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान :

असमानता सभी समाजों की विशेषता होती है। अतः असमानता को समाप्त करने और समानता को स्थापित करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रावधान किये गये हैं। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना (1945) में, देश छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन सभी देश, उसमें निवास करने वाले सभी नागरिक, किसी भी धर्म को मानने वाले सभी लोग, समान हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रजाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना मानव अधिकार और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और इस दिशा में अधिक प्रोत्साहन की आकांक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 13 के अनुसार मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता की दिशा में अध्ययन प्रारंम्भ करने, बढावा देने और सिफारिशें करने का अधिकार महासभा को दिया गया है। मानव अधिकारों पर जारी सार्वभौमिक घोषणा– पत्र कहता है कि रंग, लिंग, प्रजाति, भाषा, धर्म, राजनीति, जन्म, पद,

सम्पत्ति या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर सन् 1948 को मानव अधिकार घोषणा–पत्र को अपनाया। घोषणा– पत्र में 30 अनुच्छेद दिये गये हैं। अनुच्छेद 2 से लेकर 21 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं तथा अनुच्छेद 22 से लेकर 27 में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में बताया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार :

भारतीय संविधान में भी देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गये हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि........

'' हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

भारतीय संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद– 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद –14 से लेकर 18 तक में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को रोका गया है। अनुच्छेद– 19 से लेकर 22 नागरिकों की स्वतन्त्रता के बारे में हैं। अनुच्छेद 23 व 24 के अर्न्तगत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त समाज में समानता लाने के लिए संविधान के भाग 4 में राज्यों को कर्त्तव्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद लैंगिक आधार पर आज भी समाज में विभिन्नता, भेदभाव, शोषण, तिरस्कार आदि देखने को मिलता है।

किन्नर, एक अवलोकन :

समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेकों विवाह समारोह में जाता है और उसके परिवार में भी विवाह अवश्य होते रहते हैं। विवाह होने के पश्चात् पुरुषों का एक समूह, जो कि महिलाओं के समान वस्त्र धारण किये होता है, विवाह वाले घर में आता है और नाच– गाने के बाद में बधाइयॉ देता है साथ में बच्चा होने का आर्शीवाद भी देता है। इसके बदले में विवाह वाला परिवार उन्हें पैसा और उपहार देकर विदा करता है। पुरुषों का यह समूह किसी परिवार में विवाह समारोह, बच्चा होने पर, ग्रह प्रवेश या किसी भी शुभ अवसर पर बधाइयॉ देने आता है। खुशी के अवसर पर इनके आगमन को शुभ माना जाता

है। इसी समूह को समाज में हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। इस समुदाय को किन्नर, हिजड़ा, अरावानिस, कोठी, जोगप्पा, शिव–शक्ति, मंगलामुखी आदि नामों से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट (अप्रेल, 2014) ने इस समुदाय को तृतीय लिंग से सम्बोधित किया है। समाज में पुरातन काल से लिंगों का निर्धारण कठोर रुप से दो ही रुपों में हुआ है– महिला और पुरुष, किन्तु समाज में एक और वर्ग देखने को मिलता है जिनके लिंग का निर्धारण निश्चित नहीं होता। किन्नर पद ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि निर्धारित लिंग (स्त्री या पुरुष) से असंगति दिखाते हैं जिनकी शारीरिक विशेषतायें निर्धारित लिंगों से भिन्न होती हैं या जिनकी शारीरिक विशेषताओं के निर्धारण में असमंजस की स्थिति होती है, इन्हें ही हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। किन्नर वे लोग होते हैं जिनका जन्म के समय लिंग नर होता है, वे विपरीत लिंग के कपड़े पहनते हैं और अपना जीवन स्त्रियों की भॉति जीते हैं।

हिजड़ा उर्दू का शब्द है जो कि अरब मूल के शब्द ''हिज्र'' से लिया गया है जिसका अर्थ है '' एक कबीले को छोड़ना''। हिजड़ा शब्द धीरे–धीरे विकसित हुआ है जैसे कि हिजिड़ा, हिजदा, हिजादा, हिजाड़ा, हिजड़ाह। यू.एन.डी.पी. के अनुसार '' हिजड़ा'' शब्द ऐसा पद है जो सभी लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में हिजड़ा शब्द असमान्य समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें लिंग परिवर्तित व्यक्ति, प्रतिजातीय वेशधारी महिला और पुरुष, वे महिला और पुरुष जो लैंगिक अनुकूलन से बेपरवाह व्यवहार करते हैं, जिनका रंग–रुप या विशेषतायें लैंगिक असामान्यता दर्शाते हैं, आते हैं।

अमेरिकी वैज्ञानिक संगठन के अनुसार, ''जिनकी लैंगिक पहचान, अभिव्यक्ति या व्यवहार उनके निर्धारित लिंग से भिन्न होते हैं, किन्नर कहलाते हैं।'' कभी–कभी किन्नरों को चिकित्सकीय सहायता से दूसरे लिंग में परिवर्तित व्यक्ति या इच्छुक व्यक्ति भी कहते हैं।''

मोटमान्स ने किन्नर समाज को बहुत ही व्यापक रुप में वर्णित किया है। मोटमान्स के अनुसार, 1–वे व्यक्ति जो किन्नर समुदाय का हिस्सा हैं, 2–वे व्यक्ति जिसकी शारीरिक पहचान, या लैंगिक भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित भूमिका या पहचान से भिन्न है, 3– वे व्यक्ति जो अपने निर्धारित लिंग या भूमिका से विपरीत रहना या भूमिका निभाना पसन्द करते हैं, 4– वे व्यक्ति जो विपरीत लैंगिक वेशभूषा और विपरीत लिंग परिवर्तन के इच्छुक होते हैं, सभी किन्नर कहलाते हैं।

<u>किन्नरों का पुरातन इतिहास :</u>

वास्तविक स्थिति का वर्णन करने से पूर्व प्राचीन काल से चली आ रही स्थिति को समझना आवश्यक है। किन्नर समुदाय का अस्तित्व ई.पू. 9वीं शताब्दी से पाया जाता है। हिन्दू धर्म, जैन, बौद्ध तथा वैदिक संस्कृति, सभी में तीन लिंगों को मान्यता दी गयी थी। वैदिक काल (1500–500 ईसा पूर्व) में तीन लिंगों की चर्चा की गयी है– पुरुष प्रकृति, महिला प्रकृति तथा तृतीय प्रकृति प्राचीन भारतीय कानून, चिकित्सा विज्ञान, भाषा शास्त्र तथा ज्योतिष

शास्त्र में भी तृतीय लिंग के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति (200 बी.सी– 200 ए.डी) में तृतीय लिंग की जैविक उत्पत्ति के बारे में बताया गया है– पुरुष बीज के अधिक मात्रा में होने से नर शिशु बनता है, स्त्री बीज के अधिक मात्रा में होने से मादा शिशु बनता है और यदि दोनो बीजों की मात्रा बराबर रहती है तो तृतीय लिंग शिशु बनता है या नर– मादा जुड़वॉ बच्चे होते हैं। पुराणों में भी तीन लिंग बताये गये हैं– गन्धर्व, अप्सरा और किन्नर।

मुगल काल में किन्नर समुदाय को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। वे राजनीति में कुशल सलाहकार, प्रशासक तथा हरम के संरक्षक के पद पर तैनात थे। मुगल सल्तनत में इनकी वफादारी के लिए शासकों द्वारा इन्हें जमीनें प्रदान की गयी थीं। ये लोग इज्जत के साथ अपना जीवन बिताते थे, किन्तु ब्रिटिश काल की शुरुआत में किन्नर समुदाय को अनेकों राज्यों से अपनी सुरक्षा के लिए सहायता लेनी पड़ी थी। ब्रिटिश कानूनों ने इनसे जमीन के अधिकार छीन लिये थे। चॅूकि इनका जैविक अधिकार खून के रिश्ते पर आधारित नहीं था, इस कारण किन्नरों के जीवन पर संकट आ गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वे अपराध में लिप्त रहने लगे। चोरी, डकैती, बंधक बनाना इनका पेशा हो गया। इसकी रोकथाम के लिए सन् 1871 में ''क्रिमिनल ट्राइब एक्ट'' लाया गया। इसमें सभी किन्नर समुदाय को शामिल किया गया और उनके लिये सजा का प्रावधान किया गया (एम. मिशेलराज तथा डॉ. पीयुष सक्सैना)। हालॉकि बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1952 में यह कानून निरसित किया गया। वर्तमान संदर्भ में देखा जाये तो सन् 2011 के जनगणना के ऑकड़े दर्शाते हैं कि देश में मात्र 19 लाख किन्नर जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का मात्र 0.15 प्रतिशत है (श्रिओशी सिन्हा, डॉ. पीयुष सक्सैना)।

किन्नर समुदाय के सामाजिक बहिष्कार का अवलोकन :

सामाजिक बहिष्कार उस प्रक्रिया को दर्शाता है जो कि व्यक्तियों और सम्पूर्ण को अपने अधिकार, स्रोंतों और अवसरों को पाने से रोक देता है, जैसे कि आश्रय–स्थल, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाऐं आदि सामान्यतः सभी को मिल जाती हैं, किन्तु कुछ व्यक्तियों या किसी समुदाय को न मिले। सामाजिक बहिष्कार के पीछे प्रजाति, लिंग, जाति, धर्म या आयु के आधार पर पायी जाने वाली सामाजिक असमानता होती है। यह असमानता और बहिष्करण किन्नर समुदाय के लिए सर्वाधिक पायी जाती है। **अमर्त्य सेन** ने सामाजिक बहिष्कार को गरीबी और अभिवंचना के साथ जोड़कर देखा।

किन्नर समुदाय का सामाजिक बहिष्करण, एक ऐसा पद है जो किन्नर समुदाय के शोषण को दर्शाता है कि किस प्रकार किन्नर समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कार से अभिप्राय परिवार और समाज से बहिष्कार, हिंसा से सुरक्षा का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुॅच से है। यदि कोई नर शिशु अपने अपेक्षित लैंगिक भूमिका से विपरीत लैंगिक भूमिका निभाने लगता है तो अधिकांश परिवार ऐसे शिशु को स्वीकार नहीं करते। महिलाओं की तरह कपड़े पहनने या उनकी तरह व्यवहार करने पर परिवार के लोग अपने बच्चे को डॉटते, मारते और धमकी देते हैं।

कुछ परिवार तो समाज के मूल्यों के विपरीत लैंगिक भूमिका करने पर अपने बच्चे को सभी अधिकारों से बेदखल या पूर्णतया त्याग देते हैं। परिवार के लोगों का मानना है कि बच्चे के इस कार्य से परिवार के लोगों का अपमान होता है और उस बच्चे के विवाह के अवसर भी कम हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरुप उनका वंश खत्म हो सकता है (यदि उनका सिर्फ एक ही पुत्र है)। कुछ बच्चे अपने परिवार द्वारा किये जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को सहन नहीं कर पाते या अपने परिवार के लिए लज्जा का कारण न बनें इसलिए घर को छोड़कर भाग जाते हैं। कम उम्र में घर छोड़ देने के कारण ये अशिक्षित रह जाते हैं परिणामस्वरुप नौकरी पाने में या आजीविका चलाने में कठिनाई आती है।

समाज के कुछ लोग लैंगिक भिन्नता के कारण किन्नर समुदाय का मजाक बनाते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। यहॉ तक कि पुलिस वाले उनको गालियॉ देते हैं, शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, उनका पैसा और सामान छीन लेते हैं और झूठे आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस से सुरक्षा के अभाव में बदमाश, गुण्डों के लूट– मार के लिए लिए किन्नर समुदाय आसानी से मिलने वाला लक्ष्य होता है (चक्रपानी)। 2007 का एक अध्ययन यह बताता है कि 46 प्रतिशत किन्नरों ने उनसे बलपूर्वक लैंगिक सम्बन्ध बनाने की, 44 प्रतिशत किन्नरों ने शारीरिक दुर्व्यवहार की, 56 प्रतिशत किन्नरों ने गाली– गलौज की, 31 प्रतिशत किन्नरों ने पैसों के लिए ब्लैकमैल करने और 24 प्रतिशत किन्नरों ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की (चक्रपानी)। स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव के सम्बन्ध में किन्नर समुदाय द्वारा शिकायत की जाती है कि अस्पतालों में जानबूझकर उनका पुरुष के तौर पर नामांकन किया जाता है और उन्हें पुरुष वार्ड में ही भर्ती किया जाता है, पुरुष कतार में ही खड़े होने को मजबूर किया जाता है, अस्पताल के स्टाफ और दूसरे मरीजों द्वारा भाषायी उत्पीड़न किया जाता है। किन्नर समुदाय को स्वास्थ्य सुविधायें देने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी है जो इनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से समझ सकें।

आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा की कमी, कम उम्र में घर छोड़ देने के कारण किन्नर समुदाय के सामने पैसों की कमी की एक गम्भीर समस्या हमेशा बनी रहती है। शिक्षित न होने के कारण नौकरियॉ भी नहीं कर पाते और समाज के कुछ लोग किन्नर समुदाय का होने के कारण जानबूझकर इन्हें नौकरी पर नहीं रखते। रोजगाार शुरु करने के लिए पैसा नहीं होता और सरकार की तरफ से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। लैंगिक भिन्नता के कारण आवश्यक कागजात भी नहीं बन पाते जैसे– पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि।

लैंगिकता के विषय पर सभी देशों में चर्चायें होती रहती हैं, समान अधिकार और स्वतंत्रता दिये जाने की वकालत की जाती है, इसके बावजूद लिंग के आधार पर सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, लैंगिक भिन्नता समाज में जहॉ– तहॉ देखी जा सकती है। किसी भी देश में किन्नर के रुप में जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 38 प्रतिशत किन्नरों के पास नौकरियॉ हैं जबकि सामान्य जनसंख्या का प्रतिशत 46 है और सन् 2011 की जनगणना यह भी बताती है कि केवल 46 प्रतिशत किन्नर शिक्षित हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ऑकड़ा 76 प्रतिशत है। किन्नर समाज अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न का शिकार होता है। इनको नौकरी

और शिक्षा पाने का अधिकार बहुत कम मिलता है (नागराजन, 2014)। आय का कोई साधन न होने के कारण ये समुदाय भीख मॉगने और वेश्यावृत्ति के कार्य करने को मजबूर होते हैं। जीवन के सुअवसर प्राप्त न होने के कारण इनमें बीमारियॉ फैलती हैं।दक्षिण भारत के चार राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश) के ऑकड़े ये बताते हैं कि कुल एच. आई. वी. संक्रमण में 53 प्रतिशत किन्नर समुदाय का हिस्सा है। किन्नर समुदाय भेदभाव के कारण ही अपनी भावनाओं को छुपाता है क्योंकि वे इस बात से डरे होते हैं कि कहीं वे अपने परिवारों के द्वारा घर से निकाल न दिये जायें और अपनी इस लैंगिक विभिन्नता के कारण स्वंय और अपने परिवार के लिये अपमान व लज्जा का कारण न बन जायें (चक्रपानी)। किन्नरों के परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरुर होता है जो यह नहीं चाहता कि लैंगिक भिन्नता के कारण वे समाज में किसी से भी बात करें (विटलर, टर्नर तथा अल–अलामी)। किसी व्यक्ति के किन्नर होने की जानकारी होने पर समाज के लोग उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं।

समस्या का कथन :

विकास के इस दौर में किन्नर समाज आज भी हासिये पर खड़ा है। किन्नर समुदाय के विकास की अनदेखी एक गम्भीर विषय है। सभी समुदायों के विषय तथा अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है लेकिन किन्नर समुदाय के विषय में चर्चा तक नहीं होती। आम नागरिक किन्नर समुदाय से असम्माननीय व्यवहार करता है। सभी नागरिक अधिकारों से इन्हें वंचित किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किन्नर समुदाय अनकों प्रकार के शोषण का शिकार होता है। किन्नर समुदाय के विषय में भारतीय कानून भी मौन है। अतः वर्तमान परिदृश्य में किन्नरों की सामाजिक स्थिति और बहिष्कार, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधानों के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन सहायक हो सकता है।

अध्ययन का महत्व :

किसी भी समाज के विकास के लिए उसके सभी समुदायों, क्षेत्रों, वर्गों, उप–वर्गों अर्थात् समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास आवश्यक है। जब तक सभी वर्गों, उप–वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण समाज विकास नहीं कर सकता। भारत में किन्नर समुदाय पिछड़ा हुआ है। इस वर्ग का शोषण, उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार होता रहा है। समाज द्वारा इसके विकास के रास्ते में बाधाएॅ खड़ी की गयी हैं। इसी कारण यह वर्ग विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाया और दबा कुचला वर्ग बन के रह गया। उसके परिवार ने ही उसे नहीं अपनाया तो समाज ने भी इस वर्ग को दुत्कार दिया। समाज में इस वर्ग का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक आदि सभी प्रकार का शोषण होता है। फिर भी इस गम्भीर विषय पर भारत में अकादमिक शोध बहुत कम हुये हैं और जो शोध हुए भी हैं वे सामाजिक क्षेत्र में न होकर अधिकांशतः चिकित्सकीय क्षेत्र में हुये हैं। किन्नर समुदाय के

अध्ययन के द्वारा इसकी समस्यों को जानकर और उन्हें दूर करके ही इस समुदाय का विकास सम्भव है और मेरा यह अध्ययन इस दिशा में एक कदम मात्र है। मेरे अध्ययन के द्वारा इनकी समस्याओं को समाज के सामने लाने तथा अकादमिक क्षेत्र में समाजशास्त्रीय विवेचना के द्वारा इस विषय पर शोध को बढावा देने का एक प्रयास है।

साहित्य का पुनरावलोकन :

1– **दत्त** (2002) ने किन्नर समुदाय के जीवन का बहुत ही मार्मिक दृश्य चित्रित किया है। किन्नर समुदाय तंग गलियों में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो कि अत्यंत ही संकरी और गंदी होती हैं। इनके मकानों में हवा के आने – जाने के लिए भी जगह नहीं होती है। दत्त जी बताते हैं कि बधाई के अवसर पर किन्नर समुदाय यह भी निगरानी करता है कि कहीं किसी परिवार में कोई किन्नर बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है और यदि ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। परिवार भी बदनामी के डर से किन्नर बच्चे को उन्हीं को सौंप देते हैं। किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपनी बस्ती में लाकर उसका पालन – पोषण अपने ढ़ग से करते हैं और आजीविका चलाने के लिए उसे नाचना– गाना सिखाते हैं। समाज के शोषण को अकेले न सह पाने के कारण कुछ किन्नर, जो कि अकेले रहते थे, समुदाय के सदस्य बन जाते हैं क्योंकि सामुदायिक होसले से शोषण को सहने की हिम्मत मिलती है। इस लेख में नबानिता बताते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को किन्नर बनाया जाता है और इस अवसर पर समुदाय का मुखिया गुप्त भोज का आयोजन करता है। उन्होंने चैन्नई के पास 'कूवागम गॉव' में किन्नर समुदाय के वार्षिक विवाह समारोह का भी वर्णन किया है।

2– **सक्सैना** (2011) बताते हैं कि पुरातन और चिकित्सकीय संदर्भ में किन्नरों का जीवन बहुत ही कठिन है। उन्होंने अवलोकन के आधार पर बताया कि कुछ हद तक सांस्कृतिक रुढ़िबद्ध धारणा व अपेक्षाओं तथा कुछ हद तक नौकरशाही नियमों के कारण भारत में किन्नर समुदाय आश्रयविहीन, बेरोजगारी के जाल में फंसता चला गया और पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य– सुविधाओं को पाने में धीरे– धीरे अधिकार हीन होता चला गया। पीयुष सक्सैना का कहना है कि किन्नर समुदाय की स्थिति ऐसी नहीं थी, जैसी आज है। पुरातन इतिहास में इनका सम्मान था, यहॉं तक की मुगल काल में भी इन्हें उच्च पद प्राप्त थे किन्तु अॅंग्रजों के आगमन के पश्चात् इस समुदाय को अपराधी की श्रेणी में डाल दिया गया और इसी के बाद से इस समुदाय को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। ये लोग समाज में हॉसिये पर खड़े हैं और रोजाना किसी न किसी के द्वारा प्रताड़ित, अपमानित और तिरस्कृत होते हैं। समाज में इनके बारे में भ्रामक धारणायें फैली हुई हैं जैसे कि प्रत्येक समझता है कि किन्नर लोग छोटे लड़कों को बंधक बनाकर, लिंग काटकर उन्हे किन्नर बना देते हैं जबकि यह सच नहीं है। जनता और लोकत्रांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकारों की उदासीनता और भेदभाव के कारण ये दरिद्रता, भीख मॉगने व अपराध के दल– दल में फंसते जा रहे हैं। इनका मानना है कि यह बहुत अजीब बात है कि एक तरफ तो हम इस

समुदाय को आर्शीवाद के लिए शुभ अवसर पर बुलाते हैं और दूसरी तरफ हम इनका अपमान करते हैं।

3– **बैरलीन** (2015) ने अपने अध्ययन में, जो कि तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली शहर का है, में बताया है कि घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर किन्नर समुदाय भेदभाव का शिकार होता है। यह देश में फैली लैंगिकता पर आधारित रुढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह का परिणाम है।

4– **चक्रपानी** (2014) किन्नर समुदाय द्वारा सामना करने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण का विस्तार से वर्णन करते हैं। किन्नर समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। किन्नर समुदाय का परिवार और समाज से बहिष्कार, हिंसा से सुरक्षा का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुॅंच रखते है। पुलिस वाले विभिन्न प्रकार से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते हैं, उनका पैसा और सामान छीन लेते हैं और झूठे आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आजीविका के अभाव में किन्नर समुदाय वेश्यावृत्ति का कार्य करता है और अनेकों बीमारियों यहॉं तक कि एच. आई. वी. जैसे भयानक रोगों का शिकार हो जाता है।

5– **सिंहा** (2016) जो कि विवेकानन्द कॉलेज, कोलकाता में मानवाधिकार की प्रवक्ता हैं, ने अपने अध्ययन, जो कि कोलकाता में किन्नर समुदाय के सामाजिक बहिष्करण पर है, में कहा है कि जेल से निकले हुए कैदी को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सभी अधिकार दे दिये जाते हैं किन्तु किन्नर समुदाय को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इनका जीवन जानवरों से भी बत्तर है। किन्नर समुदाय अपना जीवन– यापन करने के लिए भीख मॉंगने या वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने को मजबूर हैं। अपने अध्ययन में श्रियोसी जी ने बताया है कि सम्मान के साथ जीवन– यापन करने के लिए इन्हें समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

6– **खान** (2016) ने अपने अध्ययन जो कि पाकिस्तान का है, में बताया है कि उन्होंने किन्नर समुदाय को असभ्य, जंगली और बीमार शरीर के रुप में पाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (2009) ने भी किन्नर समुदाय की पहचान लैंगिक निर्योग्यिता और लैंगिक विकार से परेशान लोगों के तौर पर की। हिजड़ा समुदाय बीमार शरीर है जिसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। शहनाज खान बताती हैं कि अधिकांश किन्नर पारिवारिक दवाब के कारण युवावस्था में ही अपने घरों को छोड़ देते हैं जिसके कारण वे किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। अपेक्षित लिंग के अनुरुप वेश– भूषा और अस्वाभाविक व्यवहार करने के कारण वे अपने घर और स्कूल में हिंसा का शिकार होते हैं। इसी कारण वे घर और स्कूल को छोड़ देते हैं। जिन गुरुओं के सानिध्य में वे अपना जीवन बिताते हैं वे जीवन व्यतीत करने के लिए नाच– गाना तो सिखाते हैं किन्तु शिक्षा पर जोर नहीं देते। इसी कारण वे समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाते। शहनाज खान ने उल्लेख किया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (नवम्बर 9, 2009) ने लैंगिक निर्योग्यिता

के कारण किन्नर समुदाय के जैविक परिवार में उत्तराधिकार के हक को नकार दिया है जिसके कारण किन्नर समुदाय को आर्थिक संकट झेलना पड़ता है।

7– **नंदा** (1990) किन्नर समुदाय को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि हिजड़ा '' न पुरुष होते हैं और ना ही महिला ''। भारतीय समाज में हिजड़ा समुदाय का परम्परागत और महत्वपूर्ण कार्य शुभ अवसर पर नाच– गाना कर मनोरंजन करना और उसके बदले में पैसा और उपहार ग्रहण करना है। सरीन नंदा के अनुसार, भारतीय समाज में हिजड़ा समुदाय के प्रति उपहास और डर दोनों का मिश्रण पाया जाता है। जब वे समाज में निकलते हैं तो छेड़खानी और उपहास से परेशान होते हैं। सामान्यतया यह छेड़खानी छोटे और किशोर लड़कों के द्वारा की जाती है। बहुत से हिजड़ा इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ बदले में गाली– गलौज कर देते हैं। कुछ हिजड़ों के समलैंगिक होने के कारण समाज में किन्नर समुदाय की प्रतिष्ठा घटती जा रही है।

8–**अय्यर** (2014) जो कि कमला नेहरु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं, कहती हैं कि किन्नर लोग भारतीय समाज में किनारे पर जीवन यापन कर रहे हैं। वे कभी भी सम्माननीय जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। किन्नर लोग अनेकों प्रकार की असमानताओं का शिकार होते हैं जो कि सामाजिक कलंक के रुप में उनसे जुड़ी रहती हैं तथा इसी कारण नागरिक और मानव अधिकारों को प्राप्त करने में भेदभाव का शिकार होते हैं। किन्नर लोगों के साथ भेदभाव की दर उच्च स्तर पर है, जो कि दुर्व्यवहार और आत्महत्या का कारण बनती है। सामाजिक अस्वीकृति के कारण किन्नर लोगों का जीवन संसार के रंगों के बिना ही बीतता है।

9– **पटनायक** तथा **डॉ. मोहंती** (2014) ने सामाजिक बहिष्कार को समझाने के साथ– साथ तृतीय लिंग को वर्तमान में होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया है। किन्नरों की प्रमुख समस्या ''पहचान का संकट'' है। किन्नरों की पहचान ही अस्पस्ट है। अतः इन लोगों को आगे भी इसी से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे– लिंग परिवर्तन कराना, बच्चा गोद लेने में, उत्तराधिकार की समस्या आदि। पटनायक और मोहंती जी का मानना है कि अन्य उपेक्षित समूहों की तुलना में तृतीय लिंग निम्नतम सोपान पर है। यह समुदाय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक भेदभाव का सामना कर रहा है चाहे वे क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या सामाजिक स्वीकृति का हो। भेदभाव के कारण किन्नर लोग अकादमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। इनमें से कुछ लोग तो शिक्षा पाना चाहते हैं किन्तु स्कूल उन्हें शिक्षा देने के अनिच्छुक दिखते हैं। ये लोग नौकरशाही के द्वारा भी भेदभाव का शिकार होते हैं। बहुत से सरकारी आवेदन– पत्रों में दो ही लिंगों को दर्शाया जाता है। इसी कारण किन्नर लोग से सहयोग न करने के कारण इनकी स्थिति दयनीय है।

10– **अथरैया** (2015) ने बताया है कि भारत में किन्नर समुदाय को हॉसिये पर खड़ा हुआ पाया जा सकता है। किन्नर समुदाय अनेकों सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। अथरैया जी ने किन्नर लोगों को होने वाली परेशानियों का संक्षिप्त उल्लेख किया

है। परिवार और समाज द्वारा किन्नर लोगों को अपने से अलग कर दिया जाता है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, सार्वजनिक स्थल और जन सेवायें प्राप्त करने से रोका जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इनकी सहभागिता को नकारा जाता है। राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया इनकी पहुँच से दूर होती है। सेवा देने से इंकार, असमान समझना, छेड़छाड़, अत्याचार आदि की शिकायतें किन्नर लोगों के साथ होने वाले असमानता के व्यवहार पर प्रकाश डालती हैं।

11– **चटर्जी** (2008) अपने अध्ययन के द्वारा बताती हैं कि मानव अधिकार दिवस हर वर्ष आता है और चला जाता है। मानव अधिकार के सक्रिय कार्यकर्त्ता पुलिस हिरासत में होने वाले उत्पीड़न के बारे में चर्चा करते हैं, वे बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले र्दुव्यवहार और बच्चों की तस्करी के बारे में तो विचार–विमर्श करते हैं। लेकिन किन्नर समुदाय के अधिकारों के बारे में चर्चा तक नहीं करते। किन्नर समुदाय की समाज के साथ–साथ अपनो के द्वारा ही अवहेलना कर दी जाती है। यह सच है कि प्रत्येक कदम पर उनके कार्य करने और जीने के अधिकार की अधिकतर अवहेलना की जाती है। मुख्य धारा में रहने वाले लोंगो के द्वारा किन्नर समुदाय के साथ भेदभाव और उनका उत्पीड़न किया जाता है। इस समुदाय के पास आय का कोई निश्चित स्रोत्र नहीं होता या जीवन गुजारने के लिए आय के बहुत कम स्रोत्र होते हैं। इनमें से मुश्किल से कोई एक निश्चित रोजगार में लगा होता है। पुलिस के द्वारा इनसे हफ्ता वसूल किया जाता है और न देने पर पुलिस के द्वारा इन्हें किसी भी आरोप में हिरासत में ले लिया जाता है यहॉ तक कि भीख मॉगने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अधिकांशतः किन्नर समुदाय गरीब और अशिक्षित होता है और वे स्वंय के इस जन्म को पूर्व जन्म के किसी पाप का परिणाम मानते हैं। सच को सामने लाने का एक और साधन होता है– मीडिया। किन्तु इनके किन्नर होने के कारण इनकी सहायता करने के बजाय, इन्हें एक ऐसे समूह के रुप में दिखाया जाता है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जबकि वे लोग ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हैं, इस पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

12–**कुमार** (2014) किन्नर समुदाय को सामाजिक संरचना में अलग–थलग पड़े हुए समुदाय के तौर पर मानते हैं। इनके पास वे अधिकार नहीं होते जो समाज में अन्य नागरिकों के पास होते हैं। इनकी समस्यायें न्यायपालिका, संसद और पुलिस विभाग के लिए चुनौतियॉ पेश करती हैं कि वर्तमान समय तक इनको सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा भी मुहैया नहीं करायी जा सकी है। ये लोग असुरक्षित और असंवेदनशील स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। समाज के अन्य लोगों के द्वारा इनके सम्मान, आत्मसम्मान और पहचान का उपहास उड़ाया जाता है और इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये लोग अपनी आजीविका चलाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनों, दुकानों, बाजारों में भीख मॉगने को मजबूर हैं। सेंथिल कुमार कहते हैं कि वास्तव में ये लोग ईश्वर की गलती का परिणाम हैं जो कि परिवार और समाज को उत्पन्न नहीं कर सकता। भगवान की गलती के कारण इस समुदाय को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहॉ तक की उनके अपने परिवार वाले किन्नर होने के कारण उन्हें अपनाने से इंकार कर देते हैं। जब कभी वे

अपनी आवश्यकताओं का सामान लेने बाजार जाते हैं तो सामान्यजन उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी नकल करते हैं और असभ्य व अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के अशोभनीय व्यवहार और अपमान के कारण मानसिक और सामाजिक रूप से आहत होते हैं। समाज के अशोभनीय नजरिये के कारण वे हमेशा ही चिंता में रहते हैं व कष्ट पाते हैं और खुद को समाज में अप्रितिष्ठित महसूस करते हैं।

13– **विवेक** (2013) ने अपने अनुसंधान जो कि मुम्बई का है, में बताया है कि लगभग 50 प्रतिशत हिजड़ा अशिक्षित हैं जबकि देश में शिक्षा की दर 76 प्रतिशत है। ये लोग मुम्बई में भीड़–भाड़ व गंदगी वाले स्थानों पर रहते हैं। इनकी कमाई का कोई निश्चित जरिया नहीं होता। रोजगार के मुख्य साधन– नाच– गाना, भीख मॉगना और वेश्यावृत्ति का पेशा है, जिसे वो करने को मजबूर हैं। बहुत से किन्नर सड़कों, चौराहों, बाजारों और समुद्र के किनारे लोगों और राहगीरों से पैसे मॉगते हुए दिख जाते हैं। एक व्यक्ति मुश्किल से एक दिन में 100 रूपये कमा पाता है। इन पैसों से ये लोग सिर्फ अपनी जरूरत का ही सामान खरीद पाते हैं। ऐशों आराम के सामान खरीदना इनकी पहॅुच से बाहर है। बहुत बड़ी तादात में किन्नर लोग मुम्बई में 30–40 सालों से रह रहे हैं लकिन अभी भी ज्यादातर के पास कोई पहचान–पत्र, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड तक नहीं हैं। सामान्य लोग इनकी लैंगिक विभिन्नता के कारण इन्हें परेशान करते हैं। इनके पास अपना घर नहीं होता जहॉ ये अकेले रह सकें। परिवार का सहयोग न होने के कारण ये लोग समूहों में एक साथ एक–दूजे को सहयोग करते हुए रहते हैं। पुलिस के द्वारा भी इनका उत्पीड़न किया जाता है, इसे भी ये लोग झेलने को मजबूर हैं। गम्भीर समस्या यह है कि प्रशासन और सरकार भी इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाया है।

14– **हार्वे** (2008) ने कहा है कि किन्नर समुदाय दिन–प्रतिदिन और हर तरह से भेदभाव और उत्पीड़न सहता है। जब ये लोग सड़क पर घूमने निकलते हैं तो इनके लिए सीटियॉ बजाई जाती हैं और अपशब्दों से पुकारा जाता है। परिवार के द्वारा उन्हें स्वीकार करना बहुत ही कठिन होता है और परिवार के लोग इस संघर्षपूण स्थिति से बचने के लिए इनका परित्याग कर देते हैं। लैंगिक भिन्नता का सच सामने आने के बाद इनके ऊपर घर छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। परिवार और समाज निर्धारित लिंग से विपरीत होने के कारण इनको आश्रय नहीं देते। भारतीय संविधान भी इनके अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कहता। इनको वोट डालने, सम्पत्ति खरीदने, शादी करने का अधिकार नहीं है और न ही किसी प्रकार के पहचान–पत्र जैसे– ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को प्राप्त करने की सुविधा। स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा तक इनकी पहॅुच असम्भव बनी हुई है। वे जिस भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं चाहे वे तरीके गलत ही क्यूं न हों, अपनाने को मजबूर हैं। इनके साथ पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। पूरा हिजड़ा समुदाय पुलिस की बर्बरता का शिकार हो चुका है। समाज के दबंग लोग या गुन्डा लोग इस समुदाय के साथ लूटपाट और दुर्व्यवहार करते हैं और पुलिस इसे रोकना तो दूर इसकी शिकायत भी नहीं लिखती। पुलिस द्वारा इन्हें उपद्रवी दर्शाकर परेशान किया जाता है।

15–**जोसुआ** व अन्य (2015) ने अपने अध्ययन जो कि अमेरिका में होने वाला अध्ययन है, में किन्नर समुदाय के साथ होने वाले दो प्रकार के भेदभाव को विस्तार से बताया है। 1– औपचारिक भेदभाव और 2– अनौपचारिक भेदभाव। कोलिन कहते हैं औपचारिक भेदभाव के संदर्भ में, किन्नर समुदाय के साथ कार्य स्थल पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव जैसे– नौकरी के लिए आवेदन करते समय, साक्षात्कार के समय, पदोन्नति के दौरान, कार्य सम्पादन के मूल्यांकन के समय यहाँ तक कि नौकरी से निकालते समय किये जाते हैं, आदि शामिल हैं। यू. एस. ए. में 1996–97 में हुए एक सर्वे में बताया गया है कि 37 प्रतिशत किन्नर लोग कार्य स्थल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के असमान व्यवहार से पीड़ित थे। राष्ट्रीय किन्नर भेदभाव सर्वे (2011) में पाया गया कि 47 प्रतिशत किन्नरों को लैंगिक भिन्नता के कारण प्रतिकूल रोजगार परिणाम मिले। हर 4 में से एक ने किन्नर होने के कारण अपनी नौकरी खो दी। जबकि अनौपचारिक भेदभाव को सामाजिक कलंक के रूप में समझाया है। लैंगिक भिन्नता के कारण समाज में उन्हें सम्माननीय नजरों से नहीं देखा जाता। इनके साथ गलत व्यवहार, अपशब्दों और अश्लील वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

16– **लोह** (2011) ने अपने अनुसंधान को मध्य प्रदेश और गुजरात में पूरा किया गया था, ने बताया है कि समकालीन भारत में किन्नर अल्पसंख्यक समूह है, जो कि अपने भिन्न लैंगिक व्यवहार और भूमिका के कारण समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं। किन्नर समुदाय भेदभाव से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग है और मुख्य धारा में रहने वाले समाज के लोगों ने इन्हें अपने से दूर कर हासिये पर खड़ा कर दिया है। बहुसंख्यक का मानना है कि ये लोग विचलित और असामान्य होते हैं। जेनिफर उंग लोह ने अपने अध्ययन के माध्यम से बताया है कि कथाएँ इन अलग–थलग पड़े हुए लोगों की पहचान की समझ बनाने की दिशा प्रदान करती हैं। कथाएँ ये बताने का प्रयास करती हैं कि समाज की मुख्य धारा इनको किस नजरिये से देखती आयी है। कथाएँ ये वर्णित करती हैं कि हिजड़ा कौन हैं। कहानियाँ किन्नरों द्वारा स्वयं की परिभाषा देने और मुख्य धारा की कथाओं में वर्णित असामान्य शारीरिक पहचान को चुनौतियाँ देने का साधन हैं।

17– **चेत्तियार** (2015) अपने मुम्बई के अध्ययन के द्वारा बताती हैं कि अकेले मुम्बई में ही नहीं पूरे देश में पुलिस द्वारा किन्नर समुदाय का उत्पीड़न किया जाता है। घर जाकर, सार्वजनिक स्थलों पर, पुलिस स्टेशनों में किन्नर समुदाय को परेशान किया जाता है। जालसाजी के आरोप में पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ तक कि जेल में इनके साथ बलात्कार भी किया जाता है। पुलिस स्टेशन में इनसे बेहद निजी लिंग आधारित सवाल किये जाते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन है। इनके शरीर को गलत ढ़ंग से छुआ जाता है, यहाँ तक की नंगा भी कर देते हैं। किन्नर समुदाय स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रहता है। अधिकांश चिकित्सक किन्नर समुदाय को होने वाली बीमारियों को दूर करने के तरीकों से अनजान होते हैं। चिकित्सक और इनके सहायक भी इनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको पुरुष वार्ड में भर्ती किया जाता है और पुरुष कपड़ों को पहनने को मजबुर किया जाता है। वार्ड में भर्ती अन्य अस्पताल का स्टाफ भी नहीं रोकता है।

18– **अब्बास तथा अन्य** (2014) का कहना है कि घर में लड़के द्वारा लड़कियों की तरह व्यवहार करने, गुड़ियों से खेलने, सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग करने, लड़कियों की भॉति कपड़े पहनने पर परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा डॉटा– फटकारा और पीटा जाता है। यह व्यवहार अधिकांशतः परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, महिला सदस्यों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रहता है। किन्नर लोगों द्वारा बचपन में स्कूल जाने पर असमानता और भेदभाव का वैयक्तिक अनुभव किया गया। अनेकों किन्नर लोगों ने बताया कि उनके साथ स्कूल में मौखिक, शारीरिक और लैंगिक दुर्व्यवहार की अनेकों घटनायें घटित हो चुकी हैं। सहपाठियों और अध्यापकों के द्वारा उन्हें पीटा जाता था और स्कूल प्रशासन द्वारा इसे रोका भी नहीं जाता था। अधिकांशतः तो उन्हें लड़कियों की तरह व्यवहार करने के लिए पीटा जाता था। स्कूल छोड़ देने पर ही उन्हें इस उत्पीड़न से छुटकारा मिला।

19– **बब्बर** (2016) कहती हैं कि समाज में फैली अदूरदर्शी या पक्षपातपूर्ण विचारधारा और किन्नर समुदाय के बहिष्कार के लिए काफी हद तक संसद के नुमाइंदे व न्याय के ठेकेदार जिम्मेदार हैं, जो कि इन्हें एक अति पिछड़े समुदाय के रुप में जकड़े रखते हैं। किन्नरों के लिए असम्मान की भावना समाज की विभिन्न संरचनाओं जैसे– परिवार, शैक्षिक संस्थाओं आदि में पायी जाती है। आवश्यक शैक्षिक व स्वास्थ्य सुविधाओं से बहिष्कार की शुरुआत तब होती है जब ये लोग घर छोड़ने का फैसला करते हैं या घर छोड़ देते हैं। शिक्षा और आय के स्रोतों के अभाव में काफी बड़ी मात्रा में ये वेश्यावृत्ति की ओर खिचे चले जाते हैं और गम्भीर संक्रमणीय बीमारियों जैसे–एच. आई. वी. का शिकार हो जाते हैं। सम्पूर्ण मानव अधिकारों का अभाव, असम्मान, तीखी आलोचना, संघ बनाने, विशेषाधिकारों व अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, लैंगिक स्वायत्तता की अनुपस्थिति आदि बहिष्कार के बिन्दु हैं जिसके कारण ये लोग हॉसिये पर खड़े हैं। मीडिया के द्वारा इनकी छवि का गलत ढ़ग से वर्णन किया जाता है। शिल्पा खत्री का मानना है कि इनकी वैधानिक मान्यता का अभाव ही स्वयं में मानव अधिकारों का हनन है और यह अभाव अन्य अधिकारों को पाने में बाधा उत्पन्न करता है।

20– **डॉ0 कुमार** (2016), अपने अध्ययन के द्वारा बताते हैं कि किन्नर समुदाय परिवार, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वजनिक स्थलों तक से वंचित है। ये लोग मुख्य रुप से परिवार व शैक्षणिक वंचित हैं और न ही शैक्षिक वातावरण का लाभ इन्हें मिलता है। यह समुदाय सर्वाधिक अशिक्षित और शिक्षा ग्रहण व जारी रखने की दृष्टि से सर्वाधिक अनिच्छुक समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार 74 प्रतिशत सामान्य जनसंख्या शिक्षित है जबकि किन्नर समुदाय की शैक्षिणिक स्तर मात्र 46 प्रतिशत है। इस शैक्षिणिक स्तर में से अधिकांशतः तो केवल प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं। इस समुदाय की शिक्षा का औसत माध्यमिक शिक्षा है तथा शिक्षा छोडने की दर बहुत उच्च है। समाज के द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण ये लोग उचित शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते। जब ये लोग किसी शैक्षणिक संस्थान में पंजीकरण करवाते हैं तो वहॉ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पडता है और स्कूली जीवन से त्रस्त होकर ये शिक्षा छोड देते हैं।

साहित्य पुनराविलोकन का सारः

मेरे द्वारा किये गये साहित्यों के अध्ययन से पता चलता है कि किन्नर समुदाय मुख्य धारा से बाहर है और समाज के लोगों के द्वारा इनका बहिष्कार किया जाता है। किन्नरों के साथ औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का भेदभाव किया जाता है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की दृष्टि से किन्नर समुदाय पिछड़ा व बहिष्कृत समुदाय है। इनको संविधान में वर्णित मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं और न ही इनके मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए कोई आवाज उठाने वाला है। उपरोक्त साहित्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इनमें कुछ क्षेत्र अनछुए रह गये हैं, जैसे– इनके विषय में होने वाले वाद– विवाद तथा विमर्श का उल्लेख नहीं है, सामाजिक विकास में इनके योगदान की अनदेखी की गयी है, इनके लिए बनायी गयी सरकारी नीतियों का भी जिक्र नहीं किया गया है। अतः मेरे अध्ययन के द्वारा इन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जायेगा।

उद्देश्य :

1– किन्नर समुदाय की सामाजिक– आार्थिक स्थिति का अध्ययन तथा किन्नरों की वास्तविक संख्या का पता लगाना।
2– भारतीय सामाजिक स्तरीकरण में किन्नरों की प्रस्थिति का परीक्षण करना।
3– किन्नर समुदाय के उत्पीड़न का अध्ययन करना।
4– भारत में लैंगिक अध्ययनों के अन्तर्गत किन्नरों से जुड़े हुए वाद–विवाद तथा विमर्श का आलोचनात्मक अध्ययन करना।
5– किन्नर समुदाय के लिए बनायी गयीं सरकारी नीतियों और योजनाओं तथा उनकी संवेदनशीलता का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1– किन्नर समुदाय की समाज में सामाजिक– आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा वास्तविक संख्या भी ज्ञात नही है।
2– किन्नर समुदाय की प्रस्थिति भारतीय सामाजिक स्तरीकरण में निम्न स्तर पर है।
3– समाज में मुख्य धारा में न होने के कारण ये लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं।
4– भारत में लैंगिक अध्ययन के अन्तर्गत किन्नरों से सम्बन्धित वाद– विवाद और विमर्श का आयोजन बहुत कम होता है।
5– किन्नर समुदाय के लिये पर्याप्त सरकारी नीतियॉ और योजनायें नहीं बनी हैं और जो बनी हैं वे संवेदनशील नहीं हैं।

पद्धतिशास्त्र :

अध्ययन क्षेत्रः

किन्नर समुदाय के सामाजिक बहिष्करण का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को चुना जायेगा । सन् 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले में अन्य की जनसंख्या कुल 226 है, इसी जनसंख्या में किन्नरों की जनसंख्या शामिल है। इस जनसंख्या में से किन्नरों की वास्तविक जनसंख्या का पता लगाया जायेगा। आगरा जिले में अन्य की जनसंख्या का बिखराव इस प्रकार है– अछनेरा क्षेत्र में 5, शमशाबाद में 4, बाह में 6, खेरागढ़ में 9, एत्मादपुर में 3, फतेहाबाद में 2 और नगर निगम क्षेत्र में 195। आगरा शहर में मुख्य रुप से दो स्थान हैं जहॉ पर किन्नर समुदाय निवास करता है– लोहा मण्ड़ी और फुव्वारा क्षेत्र। समग्र की संख्या बहुत ज्यादा न होने के कारण किन्नरों की सम्पूर्ण जनसंख्या (195) को लिया जायेगा।

क्र.सं.	जिला आगरा		
	ब्लॉक		जनसंख्या
1.	अछनेरा		05
2.	बाह		06
3.	खेरागढ		09
4.	एत्मादपुर		03
5.	फतेहाबाद		02
6.	शमशाबाद		04
7.	आगरा शहर	लोहा मण्डी	195
		फुव्वारा क्षेत्र	

(स्रोत– सहायक जिला अधिकारी कार्यालय, आगरा)

अनुसंधान अभिकल्प :

अनुसंधान अभिकल्प मुख्यतः विवरणात्मक तथा विश्लेषणात्मक रहेगा।

तथ्यों का स्रोत :

अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

निर्दशन :

आगरा नगर– निगम क्षेत्र में किन्नरों की जनसंख्या की अधिकता के कारण लोहा मन्डी और फुव्वारा क्षेत्र से निर्दशन लिया जायेगा। तथ्यों के संकलन के लिए शनैः शनैः बढ़ने वाला प्रतिर्दशन (स्नोबॉल), उद्देश्यपूर्ण निर्दशन आदि तकनीकों का प्रयोग किया जायेगा।

ऐसे प्रतिदर्श सदस्यों का चुनाव जो कि उपयुक्त वांछित विशेषताओं के साथ समस्या के विषय के लिए सार्थक समझे जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण निर्दशन द्वारा चुने जाते हैं। स्नोबॉल निर्दशन में परिचित उत्तरदाताओं से शुरुआत की जाती है। यही लोग कुछ अन्य लोगों के नाम देते हैं और वे उत्तरदाता फिर कुछ नये नाम देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पर्याप्त संख्या में निर्दशन का चयन न हो जाये या जब तक उत्तरदाता मिलने बन्द न हो जायें।

तथ्य संकलन :

अध्ययन को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जायेगा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, अर्द्ध सहभागी विधि, साक्षात्कार– अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, आदि की सहायता से किया जायेगा। द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रस्तुत पुस्तकें, पत्र– पत्रिकायें, अखबार, मैग्जीन, नैट आदि के माध्यम ये होगा।

तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, विश्लेषण :

तथ्यों का संकलन के पश्चात आवश्यकतानुसार तथ्यों का संकलन किया जायेगा। फिर तथ्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा। अगले चरण में ऑकड़ों को विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जायेगा और फिर तथ्यों का विश्लेषण किया जायेगा।

अनुक्रमणिका

अध्याय –1 प्रस्तावना
समस्याओं का कथन
अध्ययन का महत्व
उद्देश्य
परिकल्पना

अध्याय–2 शोध प्रारुप
अध्ययन का क्षेत्र
तथ्यों का स्रोत्र
निर्दशन
तथ्यों का संकलन
तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, विश्लेषण
साहित्य का पुनराविलोकन
सन्दर्भ ग्रन्थ

अध्याय –3 सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन तथा किन्नरों की वास्तविक संख्या का पता लगाना

अध्याय –4 सामाजिक प्रस्थिति का भारतीय सामाजिक स्तरीकरण में परीक्षण

अध्याय –5 किन्नर समुदाय के उत्पीड़न का अध्ययन

अध्याय –6 भारत में लैंगिक अध्ययनों के अन्तर्गत किन्नरों से जुड़े हुए वाद–विवाद तथा विमर्शों का अध्ययन

अध्याय –7 सरकारी नीतियों, योजनाओं और उनकी संवेदनशीलता का अध्ययन

अध्याय –8 निष्कर्ष

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1– Chakrapani, Dr.Venkatesan (2010). Hijras/ Transgender Woman in India : HIV, Human rights and Social Exclusion. From- http://www.hijras-transgender-in-india-hiv-human-rights-andsocial-exclusion-pdf.

2– Chatterjee, S. (2008). Eunuchs of India: Deprived of human rights. From http://www.humanrightsdefence.org/eunuch-ofindia-deprived-of-human-rights.html

3– Nanda, S. (1999). Neither man nor woman, the Hijras of India. New Yark. Wadsworth Publishing .co.

4– Harvey, N. (2008). India's Transgendered : The hijras, New statrsman. Retrieved sept 6, 2015. From- http://www.newstatesman.com/world-affairs/2008/05/hijras-indian-changing-rights.

5– Khan, Shahnaz (2016). What is in a name ? Khwaja sara, Hijra and Eunuchs in Pakistan. Indian Journals of Gender Studies . volume- 23, Issue-2. Page no.- 218-242.

6– Abbas, T., Nawaz, Dr.V., et.al (2014). Social Adjustment of Transgender : A study of district Chiniot, Punjab, Pakistan. Academic journal of Interdisciplinary Studies. Vol-3, no.-1. Page no.- 61-71. Roma- Italy. MCSER Publishing.

7– Beirlaen, Lynn(2015). The Overall Well-being of transgender in Trichy, India. Bachelor Thesis proposed to achieve the degree of Bachellor in Applied Psychology. From- http://www.bachelorproef-beirlaen-lynn.pdf.

8– Chawla, Monica(2006). Gender Justice, Woman and Law in India. New Delhi. Deep and Deep Publication Pvt. Ltd.

9– Social Exclusion. From- http//www.thefreedictionary.com/social+exclusion.

10– Michelraj, M.(2015). Historical Evolution of Transgender Community in India. Asian Review of social Science . Vol.-4, no.-1. Page no.- 17-19. The Research Publication. From- http://www.trp.org.in .

11– Sendhil kumar, D.(2014). Implications of Social Outlook on Transgender Community. International Research Journal of Management Sociology and Humanities. Vol- 5, issue 11. Page no.-299-305. From- http://www.SPHERT.org.

12– Michelraj, M.(2015). Historical Evolution of Transgender Community in India. International Multidisciplinary Research Journal. Vol- 5, Issue-7. Page no.- 1- 4 The Research Publication. From- http://isrj.org/uploadedData/7068.pdf.

13– www.census2011.co/religion.php.

14– Sinha, Sreoshi (2016). Social Exclusion of Transgender in the Civil Society: A case study of the status of the Transgender in Kolkata. International Journal of Humanities & Social Science Studies. Vol-3, Issue-2 . Page no.-178-190. From- http://www.ijhsss.com/SocialExclusion:astudykolkata-sreoshi-sinha.pdf.

15–Athreye,Viji (2015). The life of Transgender in India. From- http://www.mapsofindia.com/my-india/government/the-life-of-transgenders.

16– Gender Inequality in India. From- http://www.indiacelebrating.com/social-issues/gender-inequallity-in-india.

17– Collins, C.Joshua, et.al (2015). The Problem of Transgender Marginalization and Exclusion: Critical Actions for Human Resource Development . Human Resource Development Review. Page no.- 1-22. from http://www.hrd..sagepub.com.

18– Saxena, P. (2011). Life of a Eunuch. Navi Mumbai. Santa Publishing House.

19– Dutt, N. (2002). Eunuch- India’s Third Gender. Mumbai. Things Asian Publication.

20– Patthaik, I., Mohanty, Dr. Aliva (2014). Social Exclusion: A Chanllenge for status of Third gender people of Odisha. International Journal of Scientific Research. Vol.-3, Issue- 11. Page no.- 477-479.

21– P.S.Vivek (2013). Sexual Accident: Hijra Community in Mumbai. Page no.- 329-344.
From- http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1406007244.pdf.

22– Anitha Chettair (2015). Problems faced by Transgender in Mumbai with reference to Their Health and Harassment by Police. Internation Journal of Social Science and Humanity. Vol-5, no.-9. Page no.- 752- 759.

23– Human Rights Law Network Report (July, 2015). Issued Faced by Transgender person in Odisha. Page no- 1-56.

24– Transgender inequality. From- https://en.wikipedia.org/wiki/transgender-inequality.

25–Social Inequality in Sociology. From-https://www. study.com/academy/lesson/what-is social- inequality-in-sociology-definition-effects-causes.html.

26 – Iyer, Shruti (2013). The Third Gender and the Indian Law- A Brief History. From- https://blog.ipleader.in>criminallaw.

27- Babbar, Shilpa Khatri (2016). The Socio-legal Exploitation of the Third Gender in India. Journal of Humanities and Social science. Vol-21, No-05. Page no- 12-18.

28- Sen, Amartya (2000). Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny. Manila, Phillipines. Published by Asian Development Bank.

29- Hossain, Adnan (12 May 2017). The Paradox of Recognition : Hijra, Third gender and Sexual Rights in Bangladesh. An Internation Journal for Research Intervention and Care. Page- 1-14.
From- www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2017.1317831

30- Kumar, Dr.Raj (Nov.2016). Education of Transgenders in India: Status and Challenges. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS). Vol.-6, Issue- 11. Page no.- 15-24.
From- euroasiapu.org/wp-content/uploads/2016/12/2ESSNov-4296.pdf.